बिहार सरकार,

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–01, दिनांक–

संख्या–03/डी–87/2017 श्र०सं०................../विभागीय अधिसूचना सं० 13 दिनांक 30.06.2026 के आधार पर विभागीय अधिसूचना सं० 08 दिनांक 23.06.2026 को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है :–

"बिहार श्रम सेवा (सामान्य) के श्री राजेश कुमार, संयुक्त श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार को श्रमजीवी पत्राचार और अन्य समाचार–पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्त्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 की धारा 17(1) के अन्तर्गत पत्रकारों से प्राप्त विवादों की सुनवाई और निपटारे के लिए अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है।"

2. विभागीय अधिसूचना सं० 08 दिनांक 23.06.2026 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

3. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(उपेन्द्र प्रसाद)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–03/डी–87/2017....36..../श्र०सं० पटना–01, दिनांक–02/9/26

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर एवं पटना/पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, बेगूसराय, भागलपुर, छपरा (सारण), डालमियानगर (रोहतास), मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण), मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ/अधिसूचना में नामित पदाधिकारी तथा आई०टी० प्रबंधक, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/08/2026
सरकार के विशेष सचिव